न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री संदीप चौधरी (आर.ए.एस.)

मु.न.— 23 / 2024

मोहम्मद मुस्ताक भटी पुत्र महनु दीन खांन जाति मुसलमान निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू।

— प्रार्थी —

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर। — अप्रार्थी —

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट आर.टी.एक्ट.

दिनांक 24/01/24

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम कृषि ूमि रोही ब्रहमनगर तहसील तारानगर के खसरा सं 200 तादादी 0.2908 हैक्टेयर, खसरा सं 82 तादादी 6.7271 हैक्टेयर कुल तादादी 07.0179 हैक्टेयर हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम व पिता का नाम मुस्ताक पुत्र हनुखां अंकित है। जो गलत है, जबकि प्रार्थी का नाम व पिता का नाम मोहम्मद मुस्ताक भटी पुत्र महनु न खांन सही हैं। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का म व पिता का नाम मोहम्मद मुस्ताक भटी पुत्र महनु दीन खांन है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में व पिता का नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। जमाबन्दी में अपना व अपने पिता का नाम दुरूस्त करवाने लिए प्रार्थी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी ालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना प्रत्र कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही ब्रहमनगर तहसील तारानगर के रा सं 200 तादादी 0.2908 हैक्टेयर, खसरा सं 82 तादादी 06.7271 हैक्टेयर कुल तादादी 07.0179 यर में प्रार्थी का नाम व पिता का नाम मोहम्मद मुस्ताक भटी पुत्र महनु दीन खांन किये जाने का श प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र में आई पूर्व में प्राप्त रिपोर्ट भू.अ.नि. सात्यूं के ार प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना व अपने पिता का नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। अब प्रार्थी अपने र कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का नाम व का नाम मुस्ताक पुत्र महनुखां की जगह मोहम्मद मुस्ताक भटी पुत्र महनु दीन खांन करवाना चाहता आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मुस्ताक पुत्र महनुखां ही दर्ज है। अतः प्रार्थी का मुस्ताक पुत्र महनुखां की जगह मोहम्मद मुस्ताक भटी पुत्र महनु दीन खांन दुरूस्त किया जाकर राजस्व र्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया भू.अ.नि. सात्यूं की रिपोर्ट प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पृष्टि होती तः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही ब्रहमनगर तहसील तारानगर के खसरा सं तादादी 0.2908 हैक्टेयर, खसरा सं 82 तादादी 06.7271 हैक्टेयर कुल तादादी 07.0179 हैक्टेयर के व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि प्रार्थी मुस्ताक पुत्र महनुखां के स्थान पर मोहम्मद मुस्ताक भटी पुत्र महनु खांन अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति ालदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/01/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सन्दीप चौधरी आर.ए.एस.)

पीठासीन अधिकारी श्री

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)